

14/3/23

1051

MD  
15/03/23

ई पत्रावली संख्या-17608

प्रेषक,

श्याम सिंह,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

760

SSO-III (P)

मुख्य अभियन्ता (नियोजन)  
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 13 मार्च, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग हेतु पूंजीगत पक्ष की चालू निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5121/01 बजट (चालू कार्य-रा.से.)/2022-23 दिनांक 02.03.2023 द्वारा लेखाशीर्षक 5054 के अन्तर्गत पूंजीगत पक्ष की चालू निर्माण कार्य-रा.से. मद में आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त उल्लिखित योजना में शासन स्तर पर अवशेष धनराशि ₹5000.00 लाख के सापेक्ष वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 391/9(150)2019/XXVIII(1))/2022 दिनांक 24 जून, 2022 के दिशानिर्देशानुसार ₹5000.00 लाख (रूपये पचास करोड़ मात्र) की धनराशि, निम्न शर्तों के अधीन, व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- उक्तानुसार अवमुक्त की जारी रही धनराशि के सापेक्ष सी0सी0एल आवंटन, खण्डवार स्वीकृत कार्यों की कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्य की प्रगति तथा कार्य की तात्कालिक आवश्यकता, के आधार पर की जायेगी तथा इसकी सूचना शासन को भी प्रेषित की जायेगी।
- उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण, वितरण अधिकारी द्वारा बी0एम0-4 प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह के व्यय का विवरण अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय-12 के प्रस्तर-101 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर-113 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी (मुख्य अभियन्ता, लो0नि.वि0) द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा। प्रशासनिक विभाग बजट मैनुअल के प्रस्तर-115 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।
- पूँजीगत पक्ष की संलग्न योजनाओं की सी0सी0एल0 प्रत्येक त्रैमास में समय से निर्गत कर उसकी प्रति प्रत्येक त्रैमास में शासन को भी प्रेषित की जायेगी। विभागाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक खण्ड से समय से योजनाओं का विवरण प्राप्त करके समय से उसकी साख सीमा निर्गत कराये ताकि स्वीकृत की जा रही धनराशि का समय से उपयोग हो सके और योजना का लाभ जनता को प्राप्त हो सके। इस सम्बन्ध में उत्तरदायी अधिकारी के द्वारा विलम्ब से विभागाध्यक्ष को योजनाओं का विवरण सूचित करने के कारण सी0सी0एल0 निर्गत करने में विलम्ब होता है तो उसका स्पष्टीकरण प्राप्त कर ठोस कारण न होने पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी और लगातार दो बार योजनाओं का विवरण समय से न भेजे जाने के कारण यदि पुनः सी0सी0एल0 निर्गत करने में विलम्ब होता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। मुख्य अभियन्ता का यह भी दायित्व होगा कि विभागीय योजनाओं की समय से समीक्षा कर समय से प्रतिशत के अनुसार सी0सी0एल0 निर्गत करेंगे।
- सर्वप्रथम उन निर्माणाधीन कार्यों का पूर्ण किया जाय, जिसमें 75 प्रतिशत का कार्य पूर्ण हो चुका है। तत्पश्चात् 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुके कार्यों को वरीयता दी जाये।
- वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड V भाग-V के प्राविधानों के सभी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने के बाद ही आवश्यकता के अनुसार धनराशि आवश्यकता होने पर ही आहरित एवं वितरित की जायेगी।
- इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-

CC(P)/AA

14/3/23

सहोदय,  
(अशोक कुमार)  
मुख्य अभियन्ता (नियोजन)

SAO(A-1)

15/3/23  
श्री प्रेम सिंह नबियाल  
वित्त स्टाफ आफिसर

15/3/23

391/9(150)2019/XXVII(1))/2022 दिनांक 24 जून, 2022 में उल्लिखित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. उत्तराखण्ड में लागू समस्त वित्तीय नियमों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के अधीन ही समस्त प्रक्रियायें पूर्ण की जायेंगी तथा ऐसे कार्य जो मानक के अनुसार 18 माह में पूर्ण होने चाहिये, ऐसे प्रकरणों में अधिवृद्धि या शेड्यूल रेट्स की दरों में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी।
8. साख सीमा के आधार पर आवंटित धनराशि का एकमुश्त आवंटन आहरण वितरण अधिकारी/कार्य स्थल पर किया जाय एवं उसका पूर्ण विवरण बजट मैनुअल के प्रस्तर-10 में भरकर शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
9. जिन प्रकरणों पर शासन से पूर्वानुमति की आवश्यकता हो उन पर यथाशीघ्र सुस्पष्ट विवरण एवं प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. इस सम्बन्ध में वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अक्षरतः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों हेतु बजट आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। वित्त अनुभाग-1 के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में शासन स्तर से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उक्तानुसार पूंजीगत पक्ष के सुसंगत उप मानक मद में धनराशि **₹5000.00 लाख (रूपये पचास करोड़ मात्र)** का बजट आवंटन लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22 में आपको आवंटित कोड सं0-4227 में किया जा रहा है। अतः तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान सं.-22 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें- 337 सड़क निर्माण कार्य- 03 राज्य सेक्टर- 03 01-चालू निर्माण कार्य-53-वृहद निर्माण मद के नामे डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 391/09(150)2019/XXVII(1)/2022 दिनांक 24 जून, 2022 द्वारा प्रतिनिधानित व्यवस्थान्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय

**Signed by Shyam Singh**  
**Date: 13-03-2023 11:00:09**

(श्याम सिंह)  
संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. एकीकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय (साइबर ट्रेजरी), 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. लोक निर्माण अनुभाग-1/3, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड बुक।

(श्याम सिंह)  
संयुक्त सचिव



**बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023 )**  
**Secretary-Secretary, PWD(S038)**  
**HOD-Chief Engineer PWD(4227)**

आवंटन पत्र संख्या -I/105726/2023  
 अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S23030220030  
 आवंटन पत्र दिनांक-13-MAR-2023

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत  
 परिव्यय

04-जिला तथा अन्य सड़के

337-सड़क निर्माण कार्य

03-राज्य सेक्टर

01-चालू निर्माण कार्य (5054-04-  
 800-03-01 से स्थानान्तरित)

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	1
मानक मद का नाम		पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग							
53-वृहद निर्माण		6000000000	5000000000	0	6500000000							
योग		6000000000	5000000000	0	6500000000							

**Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.50,00,00,000 (Rupees Fifty Crores Only)**

**Approval Status : APPROVED BY OFFICER**



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
 "नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: eicpwduk@nic.in



पत्रांक- 344 / 20 याता0'क'नियोजन-1/2023

दिनांक- 15 / 03 / 2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- समस्त मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग,.....।
- 2-अधिसासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 3- अपर सहायक अभियन्ता प्रावधिक/बजट वर्ग विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी  
 कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष